राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 55/2020

1. भरपाई पत्नि गोकल सिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी ढाणी रहपाला तन त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. अतर सिंह पुत्र मातादीन सिंह जाति राजपूत उम्र 73 वर्ष निवासी ढाणी रहपाला तन त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 23–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम त्यौन्दा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 188 में प्रार्थीया संख्या 1 के पति का नाम रिवत्रू सिंह पुत्र मातादीन के स्थान पर गोकल सिंह पुत्र मातादीन सिंह तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम अंजू सिंह पुत्र मातादीन सिंह के स्थान पर अतर सिंह पुत्र मातादीन सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 188 ग्राम त्यौन्दा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम त्यौन्दा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 188 में प्रार्थीया संख्या 1 के पति का नाम रिवत्रू सिंह पुत्र मातादीन के स्थान पर गोकल सिंह पुत्र मातादीन सिंह तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम अंजू सिंह पुत्र मातादीन सिंह के स्थान पर अतर सिंह पुत्र मातादीन सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम त्यौन्दा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 188 में प्रार्थीया संख्या 1 के पति का नाम रिवत्रू सिंह पुत्र मातादीन के स्थान पर गोकल सिंह पुत्र मातादीन सिंह तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम अंजू सिंह पुत्र मातादीन सिंह के स्थान पर अतर सिंह पुत्र मातादीन सिंहदुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:26:57 IST
Reason: SelfAttested

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)